

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या:- 43/21  
GCMS 2021/53

दायरा दिनांक 24.08.2021

पीठासीन अधिकारी :- श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

जगदीशसिंह पुत्र सरदार तारासिंह जाति सिक्ख जाट निवासी जगदेवपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)  
- अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार किशनगंज जिला बारां (राजस्थान)

- रेस्पोजेण्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट.

निर्णय

दिनांक :- 19.11.2024

अपीलान्त द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत तहसीलदार किशनगंज के प्रकरण संख्या 273/2020 निर्णय दिनांक 06.03.2020 के विरुद्ध पेश की है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को ग्राम चैनपुरा की आराजी खसरा नम्बर 20,21,27 रकबा 7.00 बीघा भूमि पर सम्वत 2076 किस्म सिवायचक पर अतिक्रमी मानकर 350/- रुपये शास्ति, फसल नीलामी एवं बेदखल किये जाने के आदेश दिए गए हैं। अपीलान्त का कथन है कि उक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय से पूर्व अपीलान्त को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया है। और अपीलान्त को अतिक्रमी मानते हुये बेदखली का आदेश पारित किया है। जो प्राकृतिक न्याय के स्वीकृत सिद्धान्तों के विपरीत है।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोजेण्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली की तलबी की गई।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगंज द्वारा हल्का पटवारी चैनुपरिया की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम चैनपुरा की भूमि खसरा नम्बर 20,21,27 रकबा 7 बीघा पर फसल सरसों की बोना बताया जाकर रिपोर्ट की गई जिसके आधार पर दिनांक 06.03.2020 के लिए नोटिस जारी किया गया तथा 06.03.2020 को ही छपे परफोर्मा पर निर्णय करते हुये अर्थदण्ड से दण्डित कर बेदखली के आदेश दिये गये जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, किशनगंज द्वारा प्रकरण संख्या 11/2018 बउनवान जगदीशसिंह बगेरहा बनाम सरकार में दिनांक 24.10.2019 से निर्णय व डिक्री पारित किया हुआ है जिसमें ग्राम चैनपुरा की आराजी खसरा नम्बर 25/2 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 27/1 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा पर कृपालसिंह को खसरा नम्बर 20/1 व 21 की 3 बीघा, खसरा नम्बर 27/1 की 2 बीघा 5 बिस्वा पर जोगराजसिंह को खसरा नम्बर 20/1 व 21 की 5 बीघा पर हरतेजसिंह को खसरा नम्बर 20/1 व 21 की 7 बीघा भूमि पर अपीलान्त को खातेदार कृषक घोषित किया जा चुका है। जिसकी पालना में तहसीलदार किशनगंज को दिनांक 21.11.2019 को पत्र क्रमांक/रीडर/2019/625 जारी किया गया जिस पर कार्यालय तहसीलदार किशनगंज द्वारा क्रमांक राजस्व/2019/897 दिनांक 29.11.2019 से हल्का पटवारी खण्डेला को निर्णय की प्रति भेजकर स्थगन आदेश न हो तो पालनार्थ भिजवाया गया है। इस प्रकार हल्का पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट की गई व उसके आधार पर तहसीलदार किशनगंज द्वारा दिनांक 06.03.2020 को गलत रूप से 91 एल.आर.एक्ट. की कार्यवाही कर निर्णित कर शास्ती से दण्डित कर बेदखल करने के आदेश दिये गये हैं जो सर्वथा विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण खिलाफ कानून हाने से निरस्त किये जाने योग्य।

हमने अपीलान्त के विद्वान वकील के तर्कों पर ममन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार विवादित भूमि सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। अतिक्रमी को अतिचारी सिद्ध करने बाबत पर्याप्त सबूत मौजूद हैं अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

अतः अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तदनुसार कार्यवाही हेतु वापिस भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दपत्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
शाहबाद (बारां)